तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-2-22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र में कथन किये कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण परस्पर एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का पिता है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 51 एन.जी.सी. के खाता संख्या 123/22 में कुल तादादी 1.4550 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह भी कथन किये कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व0 श्री बलतेज सिंह से विरासतन में प्राप्त हुई है तथा इस कारण सहदायिक सम्पति होने के कारण प्रश्नगत कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का अप्रार्थी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा है। प्रार्थी ने यह कथन भी कथन किया कि प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 प्रश्नगत कृषि भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने पर उतारू है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का अप्रार्थी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। उक्त प्रार्थना–पत्र के प्रस्तुत होने पर प्रार्थी को सुना गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय स्थगन दिनांक 18.01.2022 को इस आशय का जारी फरमाया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 51 एन.जी.सी. के खाता संख्या 123/22 की 1.4550 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व रहन बैय न करने हेतु पाबन्द किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 04.02.2022 को जबाव प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में कथन किये कि प्रार्थी सुखप्रीत सिंह को इस न्यायालय द्वारा ही राजस्व वाद संख्या 380/2016 शीर्षक "गुरप्रीत सिंह बनाम महेन्द्र सिंह आदि" में दिनांक 03.02.2017 व डिक्री दिनांक 06.02.2017 को इसी चक 51 एन.जी.सी. के पूर्व खाता संख्या 18/21 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पत्थर नम्बर 127/257 (31) के [illegible] 3 को बीघा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण [illegible] बहिस्सा बराबर का [illegible] गया तथा घोषणा [illegible] 1 से 3 द्वारा तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा जरिये प्रकरण संख्या 15/2018 दिनांक [illegible]6.02.2018 को प्रार्थी व अप्रार्थीगण का सहमति के आधार पर खाता विभाजन किया गया तथा उक्त खाता विभाजन उपरान्त ही प्रश्नगत कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई तथा	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.03.21 17:37:07 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

उक्त विभाजन में अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये नामान्तरण संख्या 501 के जरिये प्रश्नगत कृषि भूमि 1.4550 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई तथा प्रार्थी द्वारा तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा किये गये विभाजन में प्राप्त भूमि का जरिये विक्रय दिनांक 13.01.2022 को अपना 1/2 हिस्सा का बेचान कर दिया तथा शेष भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 के अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में यह भी कथन किये कि प्रार्थी का अब अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है क्योंकि उक्त चक 51 एन.जी.सी. में दर्ज भूमि बाबत प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री में खातेदारी अधिकारों की घोषणा में प्राप्त भूमि के अलावा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1.4550 हैक्टेयर में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इस कारण इस न्यायालय द्वारा घोषणा उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 के नाम शेष 1.455 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 18.01.2022 को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किये कि प्रश्नगत कृषि भूमि सहदायिक सम्पति होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 18.01.2022 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. को स्वीकार फरमाया जावे। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब प्रार्थना–पत्र का जवाबुल जवाब पेश करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मौखिक बहस में कथन किये कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व राजस्व वाद संख्या [illegible]/2016 शीर्षक "गुरप्रीत सिहं बनाम महेन्द्र सिहं आदि" में दिनांक 03.02.2017 व [illegible] चक 51 एन.जी. [illegible] 18/21 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पत्थर नम्बर [illegible]7/257 (31) के किला नम्बर 3 ता 25 कुल 23 बीघा में बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किये गये थे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 अपने पूर्व में उक्त राजस्व वाद में अपने घोषित हिस्सा प्राप्त होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र सिहं को 1/4 हिस्सा अर्थात 1.4550

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.03.21 17:37:07 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हैक्टेयर भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्णय व डिक्री विबंधित है तथा उक्त डिक्री में प्राप्त भूमि के अलावा अब इस वादपत्र में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1.4550 हैक्टेयर में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा प्रश्नगत वादपत्र पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय चलने योग्य नहीं है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किये जाने [illegible]	
[illegible] बहस [illegible] सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में [illegible] का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व राजस्व वाद संख्या 399/2016 [illegible] "गुरप्रीत सिंह बनाम महेन्द्र सिंह आदि" में निर्णय 03.02.2017 व डिक्री दिनांक 06.02.2017 को ग्राम चक 51 एन.जी.सी. के पूर्व खाता संख्या 18/21 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 127/257 (31) के किला नम्बर 3 ता 25 [illegible] 23 [illegible] में बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किये गये थे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या [illegible] राजस्व वाद में अपने [illegible] उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र सिंह का 1/4 हिस्सा अर्थात 1.4550 हैक्टेयर भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 [illegible] न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्णय व डिक्री से विबंधित है तथा उक्त डिक्री में प्राप्त भूमि के अलावा अब इस वादपत्र में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1.4550 हैक्टेयर में कोई हक व हिस्सा क्लेम नहीं कर सकते तथा प्रश्नगत वादपत्र पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय चलने योग्य नहीं है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का [illegible] जबाव प्रार्थी द्वारा [illegible] करने की गर्ज से प्रस्तुत किया गया है [illegible] प्रार्थी का उक्त प्रार्थना–प[illegible] खारिज किया जाता [illegible] मामला व सुविधा का सन्तुलन के बिन्दु व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है।	
अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.03.21 17:37:07 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] जो इस हु[illegible] में [illegible]
	18.01.2022 को जारी स्थगन आदेश को खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमित शुमार होकर मूल वादपत्र के साथ संलग्न हो। आदेश आज दिनांक 15.2.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। sd/- सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.03.21 17:37:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner